



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128582

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21188/2026

नरेशआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर	प्रदेश	राज्य	प्रत्यर्थी	(गण)
-------	--------	-------	-----------------	------

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : गौरव सिंह चौहान

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी,

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव सिंह चौहान के पत्रवाहक श्री हृदय नारायण पांडेय, सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री जयेंद्र कुमार मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना-अतरौली, जिला-अलीगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 734/2025, अंतर्गत धारा 103(1), 109(1), 191(2), 131 और 115(2) बीएनएस, 2023 के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक सहित दस नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध विवाह समारोह के दौरान मृतक और अन्य घायलों को लाठी, डंडे से पीटने का आरोप लगाया गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि मृतक की मरणोत्तर (पोस्ट मार्टम) रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि उसे सिर में एक चोट आई थी जो घातक पाई गई थी और 3 अन्य चोटें गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट की सूजन और खरोंच हैं तथा उक्त चोट कारित करने के लिए आवेदक सहित किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक की निशानदेही पर किसी भी हथियार की कोई बरामदगी नहीं हुई है और यहाँ तक कि अन्य घायलों को भी साधारण चोटें आई हैं। अंत में यह तर्क किया गया है कि यह वधू पक्ष और वर पक्ष के बीच मामूली मुद्दों पर अचानक हुई लड़ाई का मामला था और किसी का भी दूसरी ओर घातक चोट कारित करने का कोई आशय नहीं था तथा दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह आगे तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त गुल्लू उर्फ प्रवीण और आकाश चौधरी को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 13886/2026 और 18408/2026 में दिनांक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



27.4.2026 और 27.05.2026 को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, समान भूमिका होने के कारण आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह आगे तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक 14.11.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, परंतु वे उपर्युक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।
5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को देखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी निलंबन को ध्यान में रखने के साथ-साथ जमानत देने के संबंध में कपिल वाधवान बनाम सेंट्रल अन्वेषण ब्यूरो, **2025** एससीसी ऑनलाइन एससी **3038** में रिपोर्ट किए गए शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अधिदेश एवं माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, **2024** एससीसी ऑनलाइन ऑल **6765** में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।
6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक नरेश को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विमुख हो सके या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे विचारण/अन्वेषण में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूतियों के पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूतियों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **(2024) 10 एससीसी 685** में प्रतिवेदित जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति संदर्भ में : स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या **4 सन् 2021 31.01.2023** को निर्णीत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जेल अधीक्षक, अलीगढ़ के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(तेज प्रताप तिवारी, न्यायमूर्ति)

22 जून, 2026

एम.एन./-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"